UNFCCC COP29- बाकू

प्रलिमि्स के लयि:

जलवायु परविर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, नया सामूहकि परमिाणति लक्ष्य, कार्बन बाज़ार, संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्रीय स्तर पर नरि्धारति योगदान, वैश्वकि मीथेन प्रतजि्ञा, लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर, खाद्य और कृषि संगठन, ग्रीन क्लाइमेट फंड, पर्यावरण के लयि जीवन शैली (LiFE), जलवायु के लयि मैंग्रोव गठबंधन।

मेन्स के लयि:

भारत की जलवायु नीति, COP29 और इसके परणिाम, वैश्वकि जलवायु शासन, वैश्वकि जलवायु पहल में भारत का नेतृत्व

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, जलवायु परविर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCC) के **पार्टयिों के 29वें सम्मेलन (सीओपी29) का समापन बाकू, अजरबैजान** में हुआ। इस सम्मेलन में लगभग 200 देशों के मध्य वैश्वकि जलवायु चुनौतयिों से नपिटने के उद्देश्य संबंधी समझौतों पर वार्ता हुई।

COP29 की मुख्य बातें क्या हैं?

- **नया जलवायु वति्त लक्ष्य**: COP29 में एक बड़ी सफलता जलवायु वति्त पर नया सामूहकि परमिाणति लक्ष्य (NCQG) है। इसका उद्देश्य वकिासशील देशों के लयि जलवायु वति्त को वर्ष **2035 तक पूर्व लक्ष्य 100 अमेरकिी डॉलर से बढ़ाकर 300 बलियिन अमेरकिी डॉलर प्रति वर्ष तक अर्थात् तीन गुना कर** वकिसति देशों को आगे रखना है।
  - इसमें सभी हतिधारकों से वर्ष 2035 तक समस्त सार्वजनकि और नज़िी स्रोतों से जलवायु वति्तपोषण को बढ़ाकर 1.3 ट्रलियिन अमेरकिी डॉलर प्रति वर्ष करने का आह्वान कयिा गया है, ताकि वकिासशील देशों को जलवायु प्रभावों को कम करने और उनसे अनुकूलन करने में सहायता मलि सके।
- **कार्बन बाज़ार समझौता: COP29 ने** कार्बन बाज़ारों के लयि तंत्र को अंतमि रूप देने के लयि एक ऐतहिासकि समझौता कयिा, जसिमें **देश-दर-देश व्यापार (**पेरसि समझौते **का अनुच्छेद 6.2)** और **संयुक्त राष्ट्र (UN) के तहत एक केंद्रीकृत कार्बन बाज़ार (पेरसि समझौते का अनुच्छेद 6.4) शामलि है।**
  - अनुच्छेद 6.2, देशों के बीच पारस्परकि रूप से सहमत शर्तों के आधार पर कार्बन क्रेडटि का व्यापार करने के लयि द्वपिक्षीय समझौतों की अनुमति देता है।
  - **पेरसि समझौता ऋण व्यवस्था** (जसिे अनुच्छेद 6.4 के नाम से भी जाना जाता है) का उद्देश्य एक केंद्रीकृत, संयुक्त राष्ट्र -प्रबंधति कार्बन उत्सर्जन ऑफसेट और व्यापार प्रणाली वकिसति करना है।
- **मीथेन कम करने पर घोषणा:** अमेरकिा, जर्मनी, ब्रटिेन और संयुक्त अरब अमीरात समेत 30 से अधकि देशों ने **जैवकि अपशष्टि से मीथेन कम करने पर COP29 घोषणा का समर्थन कयिा (भारत इसमें हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं है)।**
  - घोषणापत्र में **अपशष्टि क्षेत्र के मीथेन उत्सर्जन को लक्षति कयिा गया है,** जो **वैश्वकि मीथेन उत्सर्जन में 20% का योगदान देता है।** यह पाँच प्राथमकिता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रति करता है: राष्ट्रीय स्तर पर नरि्धारति योगदान (NDC), वनियिमन, डेटा, वति्त और भागीदारी।
  - देशों को अपने **NDC** में जैवकि अपशष्टि से **मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लयि क्षेत्रीय लक्ष्य शामलि करने हेतु प्रोत्साहति कयिा जाता है।**
  - यह वैश्वकि मीथेन प्रतजि्ञा (भारत इस पर हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं है) पर आधारति है, **जसिका लक्ष्य वर्ष 2030 तक वैश्वकि मीथेन उत्सर्जन को 30% तक कम करना है, तथा कृषि, अपशष्टि एवं** जीवाश्म ईंधन से नष्किासति मीथेन की समस्या का समाधान करना है।
- **स्वदेशी लोग और स्थानीय समुदाय: COP29** ने जलवायु परविर्तन से नपिटने में स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों के महत्त्व पर ज़ोर दयिा।
  - **COP29 ने बाकू कार्ययोजना को** अपनाया और **स्थानीय समुदाय और स्वदेशी लोगों के मंच (LCIPP)** के तहत **सुवधिाजनक कार्य समूह (FWG)** के अधदिेश को नवीनीकृत कयिा।

- बाकू कार्ययोजना में स्वदेशी ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ने, **जलवायु संवादों में स्वदेशी भागीदारी को बढ़ाने** तथा जलवायु नीतियों में स्वदेशी मूल्यों को शामिल करने को प्राथमिकता दी गई है।
- **FWG बाकू कार्ययोजना** को लिंग-संवेदनशील और सहयोगात्मक तरीके से क्रियान्वित करेगा, जिसकी प्रगति की समीक्षा 2027 में की जाएगी।
- LCIPP का FWG एक **गतिशील निकाय है जिसकी स्थापना COP24** में LCIPP को और अधिक क्रियाशील बनाने तथा विविध निकायों के साथ कार्य करते हुए ज्ञान, सहभागिता और जलवायु नीतियों पर इसके कार्यों को सुगम बनाने के लिये की गई थी।

- **लिंग और जलवायु परिवर्तन:** लैंगिक दृष्टिकोण पर लीमा वर्क प्रोग्राम (LWPG) को अगले 10 वर्षों के लिये बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जिससे जलवायु कार्यवाही में लैंगिक समानता की पुष्टि हुई और **COP30 (बेलेम, ब्राज़ील) में एक नई लैंगिक कार्यवाही योजना को अपनाने** की आवश्यकता पर बल दिया गया।
  - 2014 में स्थापित LWPG का उद्देश्य लैंगिक संतुलन को बढ़ावा देना तथा लैंगिक विचारों को एकीकृत करना है, ताकि **कन्वेंशन और पेरिस समझौते के तहत** लैंगिक-संवेदनशील जलवायु नीति और **कार्यवाही सुनिश्चित** की जा सके।
- **किसानों के लिये बाकू हार्मोनिया जलवायु पहल:** खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के साथ साझेदारी में COP29 प्रेसीडेंसी ने किसानों के लिये **बाकू हार्मोनिया जलवायु पहल** शुरू की है।
- **यह एक ऐसा मंच है जो खाद्य और कृषि के क्षेत्र में मौजूदा जलवायु पहलों के बिखरे हुए परिदृश्य को एक साथ लाता है, ताकि किसानों के लिये समर्थन प्राप्त करना आसान हो सके और वित्त तक उनकी पहुँच सुगम हो सके।**

//

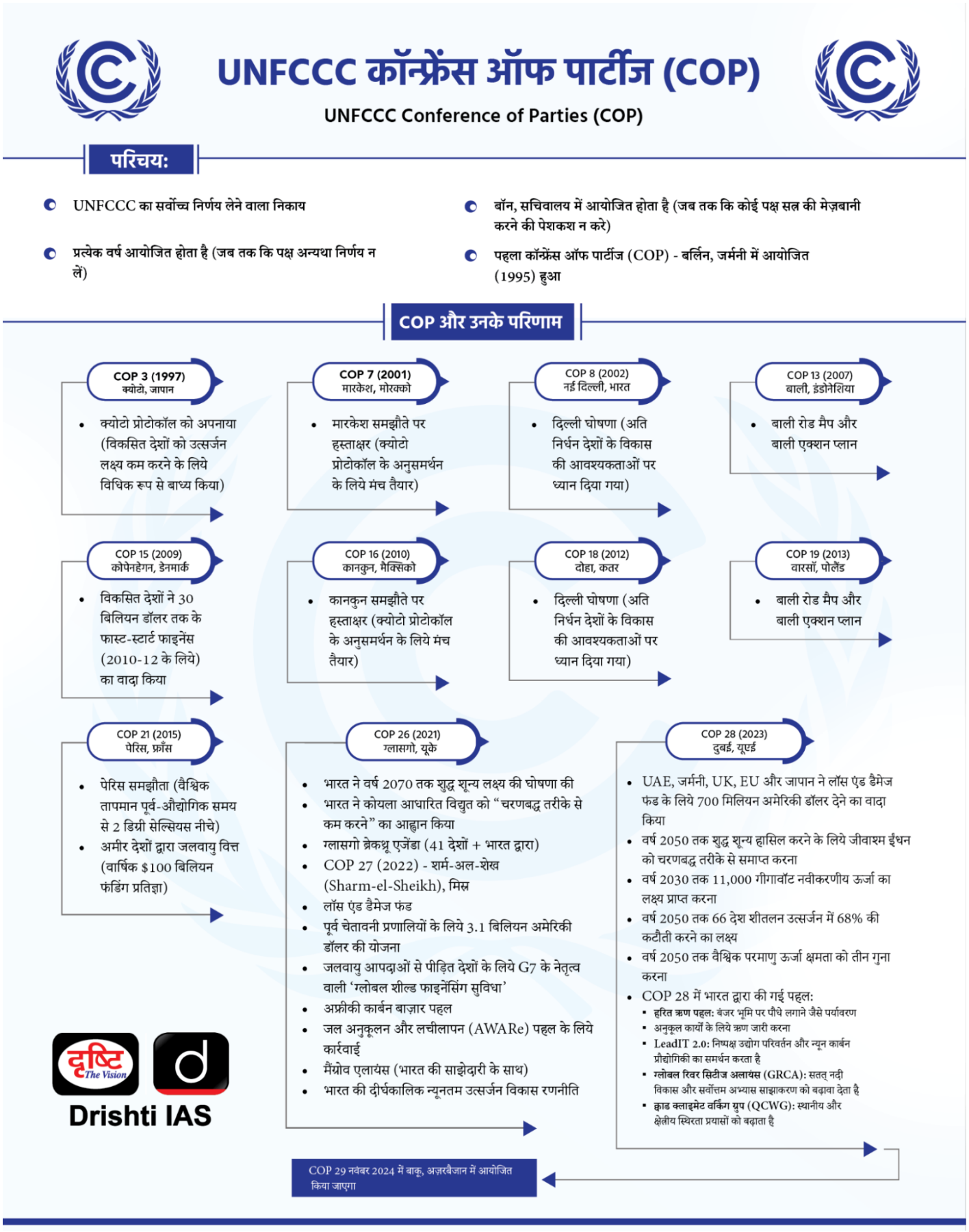

COP 29 पर भारत का रुख क्या है?

- **समझौते का विरोध:** भारत ने NCQG की अपर्याप्तता की आलोचना करते हुए उसे **अस्वीकार** कर दिया। विकासशील देशों के सामने आने वाली

जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिये 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता को **अपर्याप्त माना गया।**

- भारत, अन्य ग्लोबल साउथी देशों के साथ मिलकर, विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिये कम से कम **1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** प्रतिवर्ष की वकालत कर रहा है, जिसमें **600 बिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान या अनुदान-समतुल्य संसाधन** के रूप में शामिल हैं।

- **पेरिस समझौते का अनुच्छेद 9:** भारत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि **विकसित देशों को पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9 के अनुरूप जलवायु वित्त जुटाने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिये,** जिसमें विकसित देशों पर ज़िम्मेदारी डाली गई है।
  - हालाँकि, अंतिम समझौते ने विकसित देशों को उनके **ऐतिहासिक उत्सर्जन और वित्तीय प्रतिबद्धताओं** के लिये जवाबदेह ठहराने के बजाय, विकासशील देशों सहित **सभी पक्षों पर ज़िम्मेदारी डाल दी।**
- **कमज़ोर राष्ट्रों के साथ एकजुटता:** भारत ने अल्प विकसित देशों (LDC) और लघु द्वीप विकासशील राज्यों (SIDS) की चिंताओं का समर्थन किया, जिन्होंने यह कहते हुए वार्ता से किनारा कर लिया कि उचित और पर्याप्त वित्तीय लक्ष्य की उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है।

भारत के लिये COP क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- **भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएँ और उपलब्धियाँ:** भारत की पहली **NDC वर्ष 2015 में प्रस्तुत** की गई थी, और इसने वर्ष **2022 में अपने जलवायु लक्ष्यों** को अद्यतन किया, जिसमें उत्सर्जन तीव्रता को 33-35% तक कम करने और गैर-जीवाश्म ईंधन से अपनी ऊर्जा क्षमता का 40% पूरा करने जैसी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया।
- **जलवायु वित्त को सुरक्षित करना:** भारत हरित जलवायु कोष और कार्बन क्रेडिट बाज़ार जैसे तंत्रों के माध्यम से प्राप्त धन का प्रमुख लाभार्थी रहा है।
  - भारत के लिये बाढ़ और चक्रवात जैसे **जलवायु-प्रेरित प्रभावों से** निपटने के लिये वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु हानि और क्षति कोष पर COP चर्चाएँ महत्त्वपूर्ण हैं।
- **वैश्विक जलवायु नेतृत्व: COP भारत को वैश्विक जलवायु कार्रवाई** में अपने नेतृत्व का दावा करने का अवसर प्रदान करता है, जिसमें वैश्विक जलवायु चुनौती के लिये स्थायी समाधान को आगे बढ़ाने के क्रम में **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)** जैसी पहल शामिल हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का लाभ उठाना:** भारत COP में **समान विचारधारा वाले विकासशील देशों (LMDC)** और **BASIC समूह** का नेतृत्व करता है, जो **ग्लोबल साउथ** के प्रभाव को बढ़ाने के साथ **न्यायसंगत जलवायु कार्रवाई** एवं **वित्तपोषण** में सहायक है।
  - **COP जैसे मंच भारत को पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली (LiFE)** के साथ **जलवायु हेतु मैंग्रोव गठबंधन** जैसी पहलों को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करते हैं।

वैश्विक जलवायु शासन में भारत की भूमिका किस प्रकार विकसित हुई है?

- **1970 से 2000 का दशक:** इस दौरान भारत पश्चिमी पर्यावरणीय आह्वानों के प्रति सतर्क था क्योंकि भारत को आशंका थी कि इससे उसके आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होगी।
  - **वर्ष 1972 के** स्टॉकहोम सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पर्यावरण संरक्षण और गरीबी उन्मूलन के बीच संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया था।
  - **वर्ष 1992 के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में** UNFCCC पर हस्ताक्षर करके भारत ने औपचारिक रूप से सतत् विकास को अपनाया तथा **साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्वों (CBDR)** का समर्थन किया, जिसमें विकसित तथा विकासशील देशों की अलग-अलग क्षमताओं एवं ज़िम्मेदारियों को मान्यता दी गई।
  - भारत ने **वर्ष 2002 में COP8 की मेजबानी की थी,** जो जलवायु वार्ता में निष्क्रिय भागीदारी से सक्रिय भूमिका की ओर भारत के बदलाव का प्रतीक थी।
  - भारत ने **वर्ष 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC)** को अपनाया था, जो उत्सर्जन को कम करने एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का परिचायक है।
- **वर्ष 2015 के बाद:** पेरिस समझौता, 2015 से वैश्विक जलवायु शासन में प्रमुख बदलाव आने के साथ भारत जैसे विकासशील देशों को असंगत दायित्वों का सामना किये बिना **जलवायु कार्रवाई में योगदान** करने का प्रोत्साहन मिला।
  - कठोर उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों के क्रम में राष्ट्रीय स्तर पर अभिनिर्धारित योगदान (NDC) की ओर परिवर्तन से भारत को अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को विकासात्मक प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने में सहायता मिलती है।
  - भारत ने **राष्ट्रीय स्तर पर अभिनिर्धारित योगदान (NDC) प्रस्तुत किये** तथा वर्ष 2022 में उन्हें अद्यतन किया।
  - भारत ने वर्ष 2022 में अन्य विकासशील देशों के लिये **जलवायु वित्तपोषण हेतु 1.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया, जिससे जलवायु नेतृत्वकर्त्ता** के रूप में इसकी भूमिका मज़बूत हुई।
- **जलवायु समानता एवं न्याय के लिये वकालत: भारत विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने की वकालत करने के साथ हरित जलवायु कोष एवं लॉस एंड डैमेज फंड जैसी व्यवस्थाओं का सक्रिय रूप से समर्थन करता है।**
- **अग्रणी वैश्विक पहल:**
  - **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA): वर्ष 2015** में भारत और फ्राँस द्वारा पेरिस में COP21 शिखर सम्मेलन में शुरू किये गए ISA का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है।
  - **पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली (LiFE):** इसके तहत कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिये धारणीय उपभोग पैटर्न की वकालत की गई है।
  - **जलवायु हेतु मैंग्रोव गठबंधन:** यह जलवायु प्रभावों को कम करने के लिये मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

[illegible]:

प्रश्न: COP29 के परिणामों एवं वैश्विक जलवायु शासन हेतु उनके निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। भारत का दृष्टिकोण जलवायु लक्ष्यों एवं विकास प्राथमिकताओं के साथ किस प्रकार संतुलित है?

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

?????

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं? (2021)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/unfccc-cop29-baku